

सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER,

सीपेज - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096

सेल/Tel: 022-28294732, फ़ैक्स: 28291754

ई-मेल/E-Mail-ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/website: www.seepz.gov.in

सं.सीपेज-सेज/डीएम/183/2014-15/ 25744

44

परिपत्र सं.236/2017

दिनांक: 21.12.2017

विषय: सीपेज-सेज के यूनितों में आग लगने की घटनाओं के संबंध में।

यह देखने में आया है कि सीपेज-सेज में स्थित विभिन्न यूनितों में आग लगने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन घटनाओं की जांच-पड़ताल करने पर यह पाया गया है कि ऐसी आग लगने की घटनाएं संबंधित यूनितों की अन्तर्भितता तथा गैर जिम्मेदाराना रवैय्ये से हो रही हैं। जांच-पड़ताल के दौरान यह भी देखने में आया है कि अधिकांश यूनितों द्वारा संरक्षा संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण आग लगने की ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

चूँकि, सीपेज-सेज अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है तथा यहां रोज लगभग एक लाख कर्मचारी रोजगार के लिए आते हैं, अतः यूनितों को कार्य संचालन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

जान तथा माल की संरक्षा तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने निदेश दिया है कि सीपेज-सेज में स्थित यूनितों से निम्नलिखित प्रमाणपत्र/विवरण मांगे जाएं।

अतएव, सीपेज-सेज में स्थित सभी यूनितों को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे आपदा प्रबंधन अनुभाग, सीपेज-सेज को निम्नलिखित वैध प्रमाणपत्र/विवरण दें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

1. अग्नि तथा विद्युत संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)
2. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) प्रमाणपत्र
3. उपस्करों/उपकरणों का बीमा
4. संरक्षा अधिकारी का विवरण

इस परिपत्र के जारी किए जाने की तारीख से सात दिनों के अंदर उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन किया जाए। ऐसा न करने पर इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कठोर रूख अपनाया जाएगा क्योंकि प्राधिकारी संरक्षा तथा सुरक्षा उपायों के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकते हैं।

यह अध्यक्ष, सीपेज - सेज प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(महेश यादव)

संपदा प्रबंधक /उविआ,


सीपेज - सेज प्राधिकरण

प्रति:-

सभी यूनित तथा जनोपयोगी सेवाएं

प्रतिलिपि:-

1. विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीपेज - सेज
2. सुरक्षा अधिकारी, सीपेज - सेज



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,

विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,

सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096

देलि. / Tel.: 022-28294732 फैक्स / Fax: 28291754.

ईमेल / E-mail: ddseeepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seeepz.gov.in

No. SEEPZ-SEZ/DM/183/2014-15/ 25744

Dated 21/12/2017

CIRCULAR No. 236 /2017

Sub: Regarding fire incidences inside the units of SEEPZ-SEZ

It has been observed that the fire incidences in the various units situated in SEEPZ-SEZ are increasing day by day. After investigation of the incidents, it has been noticed that the reason for such incident was ignorance/irresponsibility of respective units. During the investigation, it has also been observed that most of the units are not following the safety norms; hence it is resulting into such kinds of incidences. As, SEEPZ-SEZ is a very sensitive zone and approximately 1.00 lac employees are visiting on daily basis for employment, the units should have be more careful in transacting the business.

In view of the Safety and Security of the men and material the Competent Authority has directed to obtain the following certificates/details from the units situated in SEEPZ-SEZ.

Therefore, all units situated in SEEPZ-SEZ are hereby directed to submit a copy of the following valid certificates/details to Disaster Management Section, SEEPZ-SEZ, so that such kind of the incidents may be avoided in future.

1. Fire & Electric NOC
2. Maharashtra Pollution Control Board (MPCB's) certificate
3. Insurance of Equipments
4. Details of Safety Officer

Above compliance may be done within seven days of time from the issue of the Circular, failing which a serious view in this regard will be taken by the Competent Authority as the Authority can't compromise with the Safety and security measures.

This issues with the approval of Chairperson, SEEPZ-SEZ Authority.

(Mahesh Yadav)
Estate Manager/DDC,
SEEPZ-SEZ Authority

To,
All units and Public Utilities,

Copy to:

1. The Specified Officer, SEEPZ-SEZ
2. Security Officer, SEEPZ-SEZ
3. Caretakers, SEEPZ-SEZ
4. Estate Section - Circular file